न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 188/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
ईश्वरसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत निवासी– हरसाणी, तहसील गडरा रोड, जिला बाडमेर।		1. मेहताबसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. भोमसिंह पुत्र मेहताबसिंह 3. रमेश सिंह पुत्र मेहताबसिंह 4. तेजमालसिंह पुत्र मेहताबसिंह 5. बालूकंवर पत्नी भैरसिंह 6. किशनसिंह पुत्र भैरसिंह 7. देवीसिंह पुत्र भैरसिंह 8. कोजराजसिंह पुत्र भैरसिंह 9. मदनसिंह पुत्र भैरसिंह 10. जालमसिंह पुत्र भैरसिंह सभी जातियान–राजपूत निवासीगण– हरसाणी तहसील गडरा रोड, जिला बाडमेर 11. रिडमलसिंह पुत्र गेमरसिंह 12. अच्छनकंवर पत्नी खेतसिंह 13. सायल कंवर पत्नी केसरसिंह 14. गेमरसिंह पुत्र आमसिंह जातियान–राजपूत निवासीगण– चाहडियाली, तहसील गडरा रोड, जिला बाडमेर 15. तहसीलदार, गडरा रोड,बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2021 अनवान मेहताबसिंह वगैराह बनाम बालूकंवर वगैराह में दिनांक 19.04.2022 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से।
3– श्री गौतम खण्डपा, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 7 से 10 व 14 की ओर से।
4– श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 15 की ओर से।
3– रेस्पो0 संख्या 5,6,11,12,13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 15 मई, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम मौजा हरसाणी के प्रार्थीगण का सहखातेदारी का खेत ख0 सं0 1224/21 रकबा 61.08 बीघा भूमि आई है। बारीश के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि क रोढा को तोडते है एवं उनकी काश्त के समय जबरन घुस कर दखलान्दाजी पैदा करते है तथा विवाद करते है जिसके स्थाई समाधान हेतु भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त खसरा भूमि की पक्की नेखमबन्दी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए विप्रार्थीगण को नोटिस जारी

19.4.2022 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ पक्के नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारों का संयुक्त सहखातेदारी का खेत ख0सं0 1332/21 रकबा 3.2375 हैक्टर ग्राम हरसाणी तहसील गडरारोड में आया है जिस पर अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी अपीलान्ट एकमात्र खातेदार है और सेटलमेन्ट के समय के नक्शे के अनुसार काबिज है तथा उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पीने के टांके, टयूब वैल बने हुए है व विधुत कनेक्शन लिया हुआ है तथा तारबन्दी की हुई है। रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके बिना किसी आदेश के तरमीम में परिवर्तन कर बदल दी और उक्त बदली हुई तरमीम के आधार पर रेस्पो0 नेखमबन्दी करवाना चाहते है जबकि उक्त तरमीम बिना किसी आदेश के हुई है उक्त बिन्दू पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त तरमीम परिवर्तन कर बदली गई जिसका पटवारी हल्का को कोई कानूनी अधिकार नहीं था जिसकी तरमीम निरस्त कर सेटलमेन्ट के नक्शे के अनुसार कब्जे के अनुसार उक्त बदली हुई तरमीम को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है फिर भी उक्त बिन्दू पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त परिवर्तित तरमीम से ख0सं0 1332/21 के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त समस्त खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट पेश नहीं मंगवाई है, बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना पक्षकारों को सुने ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधारों पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2022 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं. 01 ता 4 व 7 ता 10 के अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ता चार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत यह पेश किया कि ग्राम मौजा हरसाणी के प्रार्थीगण का सहखातेदारी का खेत ख0 सं0 1224/21 रकबा 61.08 बीघा भूमि आई है। बारीश के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि क सेढा को तोडते है एवं उनकी काश्त के समय जबरन घुस कर दखलान्दाजी पैदा करते है तथा विवाद करते है जिसके स्थाई समाधान हेतु भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त खसरा भूमि की पक्की नेखमबन्दी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए विप्रार्थीगण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

को नोटिस जारी किये गये परन्तु विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.4.2022 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ पक्के नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल व उचित है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी राहखातेदारान व पडौसी खातेदारान को आवश्यक पक्षकार बनाया गया तथा सभी को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड तामील करवाये गये तथा उनको अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्ट ईश्वरसिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया गया था परन्तु उनको पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया जिसके कारण उनका अवसर बन्द कर दिया गया। शेष पक्षकारान बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस उक्त वादग्रस्त भूमि ख0सं0 1332/21 के पडौसी खातेदार है। उक्त भूमि के पूर्व में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये राजस्व वाद के जरिये डिक्री जारी होकर पक्षकारान के मध्य भूमि का बंटवाडा हो चुका है तथा सभी अपने–अपने हक–हिस्से वाली भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि की नियमानुसार तरमीम करवाई गई है तत्पश्चात ही खेत खसरान भूमि की नेखमबन्दी किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार उचित निर्णय लेते हुए भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावें। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेजों की प्रतियॉ अवलोकनार्थ पेश की गई। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या 15 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये नेखमबन्दी के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पक्षकारान को पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.04.2022 एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा तरमीम दुरूस्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया हुआ है। पत्रावली पर प्रस्तुत हुए नये व पुराने तरमीम सम्बन्धी नक्शों में अन्तर दृष्टिगोचर होता है जिसका विवेचन व विश्लेषण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। लिहाजा जब तक अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित तरमीम सम्बन्धी प्रकरण का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है तब तक पत्थरगढी सम्बन्धी कार्य किया जाकर भूमि की मौका स्थिति को प्रभावित करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में मौका स्थिति, मौका रिपोर्ट अथवा फर्द सीमांकन भी पत्रावली पर नहीं पाई गई है। उक्त समस्त तथ्यों के विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, गडरा रोड जिला बाडमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय सर्वप्रथम लम्बित तरमीम सम्बन्धी प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण करे तत्पश्चात हितबद्ध पक्षकारान द्वारा चाहे जाने पर सीमाकंन/पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जावें। निर्णय आज दिनांक 15 मई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर